न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

19-11-24

उनवानः— ओमप्रकाश बनाम रामचरण

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।

सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात सायल व गैरसायलान 1 ता 3 के पिता व अन्य खातेदारान की पैतृक सम्पति का ख0न0 1/1075 रकवा 0.04 है0 जिसे नक्शा वादपत्र का एक ही भाग है। उक्त आराजीयात सायल व गैरसायलान 1 ता 3 व अन्य को अपने बुजुर्गो से विरासत मे मिली है। वर्णित आराजीयात मे लगी बौरिंग का उपयोग सभी कर रहे है उक्त बोरिंग पर विधुत कनेक्शन लगा हुआ है जिसका उपयोग सायलान व अन्य सभी खातेदारान कर रहे है। गैरसायलान आये दिन सायलान व अन्य खातेदारान की बोरिंग के उपयोग उपभोग मे बाधा पैदा करते रहते है। इसलिये दिनांक 19.01.2023 को जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायल न0 1 ता 6 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 1/1075 मे बनी बोरिंग समस्त खातेदारान की शामलाती है, जिसका उपयोग उपभोग समस्त खातेदारान कर रहे है। उक्त नम्बर मे आबादी बसी हुई है। उक्त नम्बरान मे बनी हुई बोरिंग अकेले सायलान की नही है बल्कि गैरसायलान व अन्य खातेदारान इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। सायलान ने अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम जौल की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के ख0न0 1/1075 रकवा 0.04 है0 मे सायल न0 1, 2, 5 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार है तथा सायल न0 3 व 4 के पिता खातेदार है। गैरसयल न0 1 ता 3 के पिता किशन खातेदार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदारान मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात की किस्म मुताबिक जमाबन्दी गै0मु0 चाह दर्ज है। जिसमे एक पक्ष को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। जिसमे प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्ष के हक मे साबित है। उभयपक्ष को अपूर्तनीय क्षति साबित होने की संभावना है अतः सुविधा का संतुलन भी उभयपक्ष के पक्ष मे साबित होता है, इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.01.2023 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात सायलान व गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता ग्राम जौल की आराजी ख0न0 1/1075 रकवा 0.04 है0 मे मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा नवीन निर्माण कार्य नही करे, उभयपक्ष एक दूसरे के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर मूल दावे के साथ सलग्न रहे।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner